न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 730 / 13

संस्थित दिनाँक-13.09.13

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र–गोहद जिला–भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

......अभियुक्तगण

विरुद्ध

- 1. रामूसिंह पुत्र हरकिशनसिंह गुर्जर उम्र 29 साल
- देवेन्द्रसिंह पुत्र जगदीशसिंह गुर्जर उम्र 38 साल निवासीगण अन्नाने का पुरा पारसेन थाना बिजौली जिला ग्वालियर म0प्र0

__: निर्णय ::-_ (आज दिनांक 08.05.18 को घोषित)

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 452/34 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दि० 06.07.13 को शाम 8 बजे फरियादी के मकान ऐंचाया रोड गोहद में सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी के मकान में उपहित कारित करने की तैयारी के पश्चात् प्रवेशकर ग्रह अतिचार कारित किया। इसके अतिरिक्त अभियुक्त रामू पर आयुध अधिनियम की धारा 25—1बी—ए के अधीन यह भी आरोप है कि वह उक्त दिनांक, समय व स्थान पर एक माउजर का कट्टा व राउण्ड बिना वैध अनुज्ञा पत्र के अपने आधिपत्य में रखे पाया गया।

- 2. प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत व उल्लेखनीय है कि फरियादी का अभियुक्तगण से राजीनामा हो जाने के कारण प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध संहिता की धारा 323/34 एवं, 506 बी के संबंध में आरोप का उपशमन किया गया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 452/34 एवं अभियुक्त रामू के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25—1बी—ए के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।
- 3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 06.07.13 को फरियादी जितेन्द्र भारद्वाज शादी में जाने के लिए बाहर निकला तभी सामने से तेज गित में आ रहे दो व्यक्ति स्टार सिटी मोटरसाईकिल पर आकर टक्कर मार दी। जब फरियादी ने कहाकि क्या बात है तो उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया तब वह चिल्लाता हुआ घर की ओर भागा तो वे लोग उसके पीछे घर के अंदर आ गए तथा फरियादी एवं उसके पिता की मारपीट शुरू कर दी और गाली गलौंच करने लगे। पड़ौस के लोग आए जिन्होंने बीच बचाव किया। अभियुक्तगण एक दूसरे को देवेन्द्र और रामू के

नाम से बुला रहे थे। मुन्ना खटीक एवं हेमंत दुबे ने बीच बचाव किया। पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने उन्हें पकड लिया। उक्त आशय की लिखित सूचना से अप०क0 105/13 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, अभियुक्तगण को गिर0 कर गिर0 पत्रक तथा जब्ती कर जब्ती पत्रक बनाए गए। जब्तशुदा आग्नेय आयुध के संबंध में उसकी आर्म्स जांच कराई गयी, अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गयी, बाद अनुसंधान अभियोगपत्र पेश किया गया।

- 4. अभियुक्तगण को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण कराए जाने पर अभियुक्तगण ने निर्दोष होना तथा झूंठा फंसाया जाना बताया।
- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं
 - 1. क्या अभियुक्तगण ने दि0 उन्होंने दि0 06.07.13 को शाम 8 बजे फरियादी के मकान ऐंचाया रोड गोहद में सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी के मकान में उपहित कारित करने की तैयारी के पश्चात् प्रवेशकर ग्रह अतिचार कारित किया ?

2.क्या अभियुक्त रामू ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर एक माउजर का कट्टा व राउण्ड बिना वैध अनुज्ञा पत्र के अपने आधिपत्य में रखे पाया गया ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में डा० धीरज गुप्ता अ०सा० ०1, मुन्ना खटीक अ०सा० २, जितेन्द्र अ०सा० ३, रामजीलाल अ०सा० ४, नीरज भारद्वाज अ०सा० ५, हेमंत दुबे अ०सा० ६, राजिकशोर अ०सा० ७, उपेन्द्रसिंह अ०सा० ८ व कौशल भटेले अ०सा० १ को परीक्षित कराया गया है। अभियुक्तगण की ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

//विचारणीय प्रश्न कमांक 1 का निष्कर्ष //

7. फरियादी जितेन्द्र अ0सा0 3 अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि वे अभियुक्तगण को नहीं जानते। घटना 2–3 साल पहले शाम के करीब 7–7:30 बजे की होना बताते हुए कथन करते हैं कि वे घर से बाहर निकले तो दो लोग मोटरसाईकिल पर आए जिन्होंने उसकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी। जब उसने कहाकि देखकर चलाया करो तो मुंहवाद करने लगे, पिता द्वारा बीच बचाव कराए जाने का कथन करते हैं और मौहल्ले वालों के आ जाने पर उनके भाग जाने का कथन करते हैं। न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तगण के संबंध में स्पष्ट कथन करते हैं कि वे व्यक्ति आरोपीगण नही हैं जिन्होंने टक्कर मारी और झगडा किया था। प्रकरण में प्र0पी0 9 के आवेदन पत्र को न तो स्वयं लिखना बताते हैं और न हीं उस पर हस्ताक्षर होना बताते हैं। अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्तगण के

विरूद्ध तैयारी पश्चात् अपराध कारित करने के आशय से उसके मानव निवास में प्रवेश करने के संबंध में कोई कथन नहीं करते हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषितकर अभियुक्तगण द्वारा मोटरसाईकिल से टक्कर मार देने, फरियादी एवं उसके पिता की मारपीट करने तथा पडौिसयों के आ जाने पर कट्टा निकालने के तथ्य से इंकार करते हैं। साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्तगण द्वारा एक दूसरे को रामू व देवेन्द्र कहकर पुकारने के तथ्य से भी इंकार करते हैं।

- 8. साक्षी रामजीलाल अ०सा० 4 जो फरियादी का पिता एवं आहत भी है, वह अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि घटना करीब 3 साल पहले शाम के 8—8:30 बजे की है वे अपने पुत्र के साथ मोटरसाईकल पर बैठकर कहीं जा रहे थे तो दो लड़के मोटरसाईकिल पर बैठकर आए और उन्होंने टक्कर मार दी। न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तगण को न जानने का कथन करते हैं और अज्ञात लड़कों द्वारा टक्कर मार देने की बात बताते हैं। यह साक्षी भी अभियोजन पक्ष ने पक्षविरोधी घोषित कर दिया। अपने अभिसाक्ष्य में साक्षी अभियुक्तगण के द्वारा उसके मानव निवास में प्रवेश करने के संबंध में कोई भी कथन नहीं करते हैं। यह साक्षी अभियुक्तगण के द्वारा उसकी मारपीट करने के तथ्य से भी इंकार करते हैं। प्रकरण में फरियादी जितेन्द्र अ०सा० 3 एवं रामजीलाल अ०सा० 4 दोनों ही उनके पुलिस कथन प्र०पी० 10 एवं 12 के विनिर्दिष्ट भाग का कथन देने से इंकार करते हैं। घटना के संबंध में लिखित आवेदन में घटना के साक्षी मुन्ना खटीक अ०सा० 2 एवं हेमंत दुबे अ०सा० 6 बताए गए हैं, वे न तो अभियुक्तगण को जानते हैं और न हीं उनके समक्ष कोई घटना घटित होने का समर्थन करते हैं। साक्षीगण पुलिस कथन कमशः प्र०पी० 8 व 14 पुलिस को दिए जाने से स्पष्ट रूप से इंकार करते हैं।
- 9. प्रकरण में अभियुक्तगण के द्वारा फरियादी के मानव निवास में अपराध कारित करने के आशय से तैयारी पश्चात् प्रवेश करने के संबंध में संपूर्ण अभियोजन साक्ष्य में कोई भी तथ्य प्रकट नहीं हुआ है। प्र०पी० 9 का आवेदन न तो फरियादी की हस्तिलिप में हैं और न हीं उस पर फरियादी के हस्ताक्षर हैं। प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध कार्यवाही का प्राथमिक आधार प्र०पी० 9 ही स्वयं ही संदिग्ध हो जाती है। इसके अतिरिक्त पुलिस कथन प्र०पी० 8, 10, 12, 14 स्वयं सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते हैं, बल्कि उनका उपयोग साक्षी के पूर्वतन कथन के रूप में विरोधाभास व लोप के संबंध में किया जा सकता है। ऐसी दशा में अभियुक्तगण के विरूद्ध संहिता की धारा 452 के अपराध को प्रमाणित किए जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य मौजूद नहीं हैं, अतः उक्त आरोप अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

//विचारणीय प्रश्न कमांक 2 का निष्कर्ष//

10. फरियादी जितेन्द्र अ०सा० 3 अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्तगण के द्वारा आग्नेय आयुध कट्टा निकालकर जान से मारने की धमकी दिए जाने के तथ्य से सूचक प्रश्नों में इंकार किया है और इसी प्रकार से रामजीलाल अ0सा0 4 ने भी इंकार किया है। प्रकरण में इस प्रकार से अभिकथित कट्टा अभियुक्तगण या उनमें से किसी के द्वारा घटनास्थलपर दिखाने के संबंध में कोई सारवान साक्ष्य अभिलेख पर नहीं हैं। प्रकरण में जब्दी साक्षी उपेन्द्रसिंह अ0सा0 8 हैं जो कथन करते हैं कि उन्होंने दिनांक 06.07.13 को गिर0 पत्रक प्र0पी0 3 व 4 के अनुसार गिरफ्तार किया था, तत्पश्चात् दिनांक 07.07.13 को अभियुक्त रामू से धारा 27 का ज्ञापन लिया था जिसमें उसने 315 बोर का लोडेड कट्टा पास की झाडी में फेंक देने का तथ्य प्रकट किया था। अभियुक्त रामू से ऐंचाया रोड गोहद धर्मशाला के पास खडी झाडियो में से निकालकर पेश करने पर एक माउजर का बना हुआ कट्टा जिस पर काला टेप लगा था, जब्त किए जाने एवं एक 315 बोर के कारतूस को जब्त किए जाने का कथन करते हैं। जब्दी पत्रक प्र0पी0 7 बताकर उस पर अपने बी से बी भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। न्यायालय में प्रस्तुत कट्टा व कारतूस अभियुक्त से ही जब्दा किए जाने का कथन करते हुए आर्टीकल ए1 व कारतूस आर्टीकल ए2 के रूप में बताते हैं।

- साक्षी उपेन्द्र अ0सा0 8 कथन करते हैं कि उन्हें दिनांक 06.07.13 को ही केस डायरी प्राप्त 11. हो गयी थी। प्र0पी0 3 व 4 के गिर0 पत्रकके अनुसार अभियुक्तगण को रात्रि 10:35, 10:45 बजे गिर0 किए जाने का उल्लेख है, जबकि मेमोरेण्डम प्र0पी० 5 अगले दिन दिनांक 07.07.13 को सुबह 9:55 बजे लिया जाना लेख किया गया है। गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त रामू का तत्काल मेमोरेण्डम क्यों नहीं लिया गया, इसका कोई उत्तर अभिलेख परनहीं हैं। मेमोरेण्डम प्र०पी० 5 व जब्ती पत्रक प्र०पी०६ के साक्षी मुन्ना खटीक अ०सा० 2 एवं कौशल भटेले अ०सा० 9 हैं। उक्त दोनों ही साक्षी उनके समक्ष पुलिस द्वारा कोई भी कार्यवाही किए जाने के तथ्य से इंकार करते हैं। उक्त साक्षी प्र0पी0 3, 4, 5 तथा 6 पर क्रमशः ए से ए तथा सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर होने मात्र का कथन करते हैं। मुन्ना खटीक अ०सा० २ यह कथन करता हैं कि वह नगर रक्षा समिति में होने के कारण थाने पर आता जाता रहता है और स्वीकार करता है कि पुलिस ने कोरे कागजों पर उसके हस्ताक्षर कराए थे। कौशल भटेले अ०सा० ९ प्र०पी० ५ व ६ पर अपने सी से सी भाग पर हस्ताक्षर अवश्य स्वीकार करते हैं, किन्तु अभियुक्त रामू से कोई भी पूछताछ होने व जानकारी पता चलने तथा कथित जानकारी के आधार पर अभियुक्त की निशांदेही पर कट्टा व कारतूस के जब्त होने के तथ्य से इंकार करते हैं। यह साक्षी भी प्रतिपरीक्षण में पुलिस के कहने पर खाली कागजों पर हस्ताक्षर करना बताते हैं। इस प्रकार से उक्त साक्षीगण के द्वारा पुलिस के कहने पर खाली दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर देने का कथन किया जाना अभियोजन के मामले में संदेह उत्पन्न करता है।
- 12. प्रकरण में प्रपी0 5 का मेमोरेण्डम उपेन्द्रसिंह अ०सा0 8 के कथन एवं प्र0पी0 5 के अनुसार थाना गोहद पर लिया गया और तत्पश्चात् प्र0पी0 6 के जब्दी पत्रक के अनुसार एंचाया रोड गोहद धर्मशाला की खाली जगह में खडी झाडियों में से कथित कट्टा व कारतूस जब्द होना बताया गया है,

किन्तु थाने से रवाना होने के संबंध में कोई भी रवानगी रोजनामचा सान्हा, वापसी पर वापसी रोजनामचा सान्हा, रोजनामचा सान्हा का प्र0पी0 5 व 6 के दस्तावेजों में उल्लेख किया जाने का प्रकरण में अभाव है। उपेन्द्रसिंह अ०सा० 8 के अनुसार वे थाने से कथित जब्ती स्थल पर गए तो उनके द्वारा कथित आग्नेय आयुध मौके पर नमूना सील से सीलबंद किए जाने के संबंध में प्र0पी0 6 के कॉलम नं0 13 में सील का नमूना न होना संदेह उत्पन्न करता है।

- ऐसा कोई साक्ष्य का नियम नहीं हैं कि पुलिस साक्षी की अभिसाक्ष्य पर अविश्वास किया 13. जाए, किन्तु पुलिस साक्षी की साक्ष्य को भी साधारण साक्षियों की भांति ही युक्तियुक्त एवं सत्यता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। प्र0पी0 6 के जब्ती पत्रक के अनुसार कथित कट्टा व कारतूस को मौके पर सील किए जाने का उल्लेख अवश्य किया गया है, किन्तु उस पर कौनसी सील लगाई गयी इसका कोई भी उल्लेख नहीं हैं। साक्षी राजिकशोर अ०सा० ७ जो कि आरमोरर है, वे दि० २०.०७.13 को अभिकथित कट्टा व कारतूस जांच हेतु प्राप्त होने पर उसके एक्सन चैक करने पर कट्टा के चालू हालत में होने और कारतूस जीवित होकर फायर योग्य होने का कथन करते हैं। प्र0पी0 6 के जब्ती पत्रक में जबकि कोई नमूना सील अंकित नही हैं तो उक्त आग्नेय आयुध को प्र0पी0 15 की जांच रिपोर्ट में सफेद कपडे में सीलबंद (चपडी) जांच हेतु प्राप्त होने का तथ्य लेख किए जाने से संदेह उत्पन्न होता है कि कथित आग्नेय आयुध को किस दशा में कब तथा कहां रखा गया। साथ ही कथित आग्नेय आयुध पर चपडी सील जो प्र0पी० 6 के अनुसार जब्ती दिनांक को उल्लेखित नहीं हैं तो फिर कब और किस स्थान पर उसमे चपडी सील लगाई गयी, यह प्रश्न संदेह उत्पन्न करता है। इसके अलावा नीरज भारद्वाज अ०सा० 5 जो दिनांक २०.०८.१३ को आर्म क्लर्क के रूप में जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के कार्यालय में अभियोजन स्वीकृति हेतु कट्टा व कारतूस पेश करने पर तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी एम० सी०बी० चक्रवर्ती द्वारा अभियोजन स्वीकृति दिए जाने का कथन करते हैं। प्र0पी0 13 के आदेश के अनुसार भी कथित कट्टा व कारतूस सीलबंद लाया गया था तो उक्त कट्टा व कारतूस पर कौनसी सील लगी थी और कब लगाई गयी थी, इसका कोई उल्लेख अभियोजन दस्तावेज में नहीं हैं। इस प्रकार से कथित कट्टा व कारतूस अभियुक्त रामू द्वारा संधारित करने अथवा उसकी निशांदेही पर जब्त होने के संबंध में संदेहपूर्ण तथ्य अभिलेख पर प्रकट होते हैं।
- 14. दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है।
- 15. उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अभियुक्तगण ने दि० 06.07.13 को शाम 8 बजे

फरियादी के मकान ऐंचाया रोड गोहद में सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी के मकान में उपहित कारित करने की तैयारी के पश्चात् प्रवेशकर ग्रह अतिचार कारित किया तथा अभियुक्त रामू माउजर का कट्टा व राउण्ड बिना वैध अनुज्ञा पत्र के अपने आधिपत्य में रखे पाया गया। अतः अभियुक्तगण को संहिता की धारा 452/34, इसके अतिरिक्त अभियुक्त रामू को आयुध अधिनियम की धारा 25—1बी—ए के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- **16.** अभियुक्तगण की जमानत भारहीन की गयी, उनके निवेदन पर मुचलका निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावशील रहेगा।
- 17. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अविध बाद बंधनमुक्त हो। जब्तशुदा कट्टा व कारतूस अपील अविध पश्चात् नियमानुसार व्ययनित किए जाने हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड की ओर भेजा जावे। अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।
- 18. अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि, यदि हो, तो धारा 428 का प्रमाणपत्र बनाया जावे।
 निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,
 मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।
 हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित
 कर घोषित किया गया।

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ALIMANA PAROTA SUNT